



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1585]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ ज्येष्ठ 15, 1939

No. 1585]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/ JYAISTHA 15, 1939

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

का.आ. 1791(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के नामांकन के बारे में दिनांक 23 मई, 2017 के का.आ., 1676(ई) के तहत जारी राजपत्र अधिसूचना में अध्यक्ष का नाम "श्री गैरुल हसन रिजवी" के स्थान पर "श्री सैय्यद गयूरुल हसन रिजवी" पढ़ा जाए।

2. उक्त अधिसूचना की अन्य विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

[सं. 1-19/2015-एनसीएम (पार्ट)]

के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2017

S.O. 1791(E).—In the Gazette Notification issued under SO,1676(E) dated 23rd May, 2017 regarding nomination of Chairperson in National Commission for Minorities (NCM), the name of the Chairperson "Shri Gairul Hasan Rizvi" be read as "Shri Syed Ghayurul Hasan Rizvi".

2. Other contents of the said notification remain unchanged.

[No. 1-19/2015-NCM (Pt.)]

K. C. SAMRIA, Jt. Secy.